भौतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance

पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई–400051

कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जे.बी. नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400059

शाखा कार्यालय : द्वितीय तल, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 17/18, यशोदा अस्पताल के पीछे, कौशाम्बी, गाजियाबाद–201010

जबकि,अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002, के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें नीचे वर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

जबकि, कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा नीचे दी गई तिथियों को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड की बकाया राशि अदा करने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम/ ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तिथि	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना में राशि (रू.)	शाखा का नाम
1.	**इरसाद खान (कर्जदार), रूबी बेगम (सह–कर्जदार), LHGHZ00001535074**	सम्पत्ति सं. एम–49, प्रथम तल (छत/टेरेस अधिकार नहीं) ब्लॉक एम, खसरा नंबर 29/21/2 का भाग, स्थित : ग्राम खयाला, शाम नगर के नाम से ज्ञात, नई दिल्ली, दिल्ली–110018, क्षेत्रफल परिमाप 133 वर्ग गज (60 फीट गुणा 20 फीट). चौहद्दी – उत्तर : गली 10 फीट, दक्षिण : रोड 20 फीट, पूरब : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति / **कब्जा की तिथि : 24–03–2025**	15–10–2024 रू. 59,42,393.6/–	गाजियाबाद (कौशाम्बी)

उपरि–वर्णित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे उक्त राशि का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दें अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर, उपरोक्त बंधक रखी सम्पत्तियां, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दी जाएंगी।

तिथि : 27–03–2025 स्थान : गाजियाबाद — **प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071 **शाखा कार्यालय:** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

ई नीलामी सूचना

वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई–नीलामी) "जैसा है जहां है आधार" और "जैसा है वैसा है आधार" पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर के आधार पर आयोजित की जाएगी।

क्रं. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	13–2 सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	25.03.2025 तक वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	भारतीय रुपये में आरक्षित मूल्य	भारतीय रुपये में बयाना राशि जमा (ईएमडी)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	**45129420001162**	**1) श्री संजय, पुत्र श्री राम किशन (उधारकर्ता), 2) श्रीमती सिमलेश, पत्नी श्री संजय (सह–उधारकर्ता)**	12–09–2024	21.01.2025	रु.13,27,480.40 (रुपये तेरह लाख सताईस हजार चार सौ अस्सी और चालीस पैसे मात्र)	16.04.2025 प्रातः 09:30 बजे को 05:00 शाम	रु.8,27,000/– (रुपये आठ लाख सत्ताईस हजार मात्र)	रु.82,700/– (रु. बयासी हजार सात सौ मात्र)	30.04.2025 / 11:00 बजे दिन	**29.04.2025 सायं 05:00 बजे से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005**

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: प्लॉट नंबर ए–79, खसरा नंबर 348, फ्लैट नंबर जीएफ–4, ग्राउंड फ्लोर (बिना छत के), क्षेत्रफल 35 वर्ग गज, आरएचएस फ्लैट, रेल विहार, सरकारी आवास समिति लिमिटेड, गांव सादुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद में स्थित संपत्ति। जो श्री संजय, पुत्र श्री राम किशन के स्वामित्व में। सीमा: पूर्व: फ्लैट नंबर जीएफ–3, पश्चिम: खाली प्लॉट, उत्तर: रास्ता 30 फीट चौड़ा, दक्षिण: अन्य की संपत्ति।

संपत्तियों को "जैसा है जहां है के आधार पर" और जैसा है जो है के आधार पर" आयोजित किया जा रहा है और ई–नीलामी "ऑन लाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल **https://bankauctions.in** और **www.foreclosureindia.com** पर आयोजित की जायेगी या अधिक जानकारी और ई–नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4 क्लोजर , श्री उत्कर्ष आदेश, संपर्क नंबर: 9515160064 . ईमेल आईडी: **info@bankauctions.in / adesh@bankauctions.in.** से संपर्क कर सकते हैं।

ई–नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकृत अधिकारी श्री शशि कुमार (मोबाइल नं. 8700277112), श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463), एवं रंजन नायक (मो. 6362951653), से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है।हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई–नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को अद्यतन तिथि के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता हैनीलामी की तारीख से पहले ब्याज और सहायक खर्च, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 27.03.2025 , स्थान: गाजियाबाद — **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Dr. Jasveer singh
JMIC ludhiana COMA/47019/2023
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Next Date: 28-04-2025
Police Station: U/s :138 of N.I ACT
publication notice for proclamation under section 82 CRPC
M/s A4 Global Clothing Vs.
M/s Royal Traders
CNR NO. PBLD03-050420-2023
Notice To: 1. m/s royal traders, 774, kabirpur, sonipat- 131001 (haryana) through its proprietor and authorized signatory jitender kumar s/o satbir singh
2. jitender kumar s/o satbir singh r/o 775, kabir pur, sonipat- 131001 (haryana)
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-04-2025 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट–15, 6वीं मंजिल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002 शाखा कार्यालय: – पहली मंजिल, एससीएफ 12 होम लोन मेन मार्केट, सेक्टर 14, सोनीपत–131001, दुकान नंबर एस9, पहली मंजिल, लाजपत नगर, जीटी रोड, पीएनबी बैंक के बगल में, पानीपत–132103

शुद्धिपत्र

यह 26 मार्च 2025 को समाचार पत्र में प्रकाशित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना के संदर्भ में है। शाखा का पता अनजाने में ग्राउंड फ्लोर, सिविल लाईस, नंबर 124/3, अंबेडकर चौराहा, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के पास, पुलिस लाइन, पथ वालिया, गोंडा, उत्तर प्रदेश 271001 लिखा गया था। इसे पहली मंजिल, एससीएफ 12 मेन मार्केट, सेक्टर 14, सोनीपत–131001, दुकान नंबर एस9, प्रथम तल, लाजपत नगर, जीटी रोड, पीएनबी बैंक के बगल में, पानीपत–132103 पढ़ा जाए। परिवर्तन को प्रारंभिक प्रकाशन का अभिन्न अंग माना जाए।

(प्राधिकृत अधिकारी)

स्थान: दिल्ली/हरियाणा दिनांक:27/03/2025 — **इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली के समक्ष

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम 1993 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित के तहत ऋणों की वसूली की सूचना।

के मामले में **टीए नं. 1643/2023** — दिनांक: 20.01.2025

बैंक ऑफ महाराष्ट्र — आवेदक

बनाम

श्री अज़ान अहमद और अन्य — प्रतिवादी

सेवा में,

प्रतिवादी

डी1. श्री अज़हान अहमद पुत्र शमीम अहमद, मकान नंबर डी–8, पुराना नंबर 363, भूतल, अंबेडकर कॉलोनी, पारा वाली मस्जिद के पास, छतरपुर, दिल्ली – 74, **यह भी** द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डीएलएफ साइबर सिटी, टावर बी, बिल्डिंग नंबर 6, तीसरी मंजिल, सेक्टर 24 और 25, गुरुग्राम–122002

डी2. श्रीमती शबीन फात्मा पत्नी श्री अज़हान अहमद, मकान नंबर डी–8, पुराना नंबर 363, भूतल, अंबेडकर कॉलोनी, पारा वाली मस्जिद के पास, छतरपुर, दिल्ली – 74

डी3. मेसर्स जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ए–202, पुराना नंबर 202, पहली मंजिल, मेन रोड, चंदर विहार, मंडावली, पूर्वी दिल्ली–92

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध **रु. 35,54,798/– (रुपये पैंतीस लाख चौवन हजार सात सौ अट्ठानवे मात्र)** की वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 13.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे** ट्रिब्यूनल में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान रखें कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए :–

(ए) सभी अधिवक्ता/वादी "**सिस्को वीबेक्स**" एप्लीकेशन/ सोफ्टवेअर डाउनलोड करेंगे।

(ब) अगली तारीख की सुनवाई के लिए **मीटिंग आईडी** और **पासवर्ड** माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा लिया जाएगा जोकि अगली तारीख से पहले एक दिन पहले डीआरटी के अधिकारिक पोर्टल यानी **drt.gov.in** पर शीर्षक सार्वजनिक सूचना के तहत उपलब्ध होगा।

(स) किसी भी प्रकार की अन्य अनिवार्य सूचना के लिए, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से **फोन नं. 23748478** पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **20 जनवरी, 2025** को दिया गया।

ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा,
अनुभाग अधिकारी, डीआरटी–II, दिल्ली

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक विद्युत खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

UPSIDA — ए-1/4, लखनपुर, कानपुर

ई–निविदा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण के विभिन्न जनपदों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत विकास कार्यों हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में पंजीकृत विद्युत लाईसेन्सी एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 27.03.2025 को अपरान्ह 04.00 बजे से दिनांक 14.04.2025 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। निविदा को दिनांक 15.04.2025 को अपरान्ह 4.00 बजे खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा शपथ पत्रों की मूल प्रतियों दिनांक 18.04.2025 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदा सम्बन्धी विवरण निम्नवत है:–

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत रू0 (लाख में)
1	Providing Composite Mains at Road No. 04 in Industrial Area Babrala Distt. Sambhal	12.34

नोटः– 1. निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर सहित दरें अंकित करें। जी0एस0टी0 अलग से देय होगी। 2. विद्युत कार्यों हेतु निविदादाताओं को निविदा अपलोड करते समय "विद्युत सुरक्षा विभाग" उ0प्र0 शासन, लखनऊ में श्रेणी 'क' अनुमोदित लाइसेन्स अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की website: www.onlineupsida.com पर स्थित ई–लिंक एवं यूपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु कार्यालय के वरिष्ठ प्रबन्धक (वि0) श्री संदीप भारता के मोबाइल नं0 9582009696 (Email ID- ed1@upsida.co.in) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

वरिष्ठ प्रबन्धक विद्युत खण्ड-प्रथम, उ0प्र0टा0औ0वि0प्रा0, कानपुर

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 के नियम 54)]'' और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना दिनांक **14 नवम्बर 2024** को निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी **हरप्रित सिंह (ऋणी), श्रीमती रमनदीप कौर (सह-ऋणी) (खाता संख्या: L9001070925946730)** से नोटिस में वर्णित **रुपये 1588443/- (रु. पंद्रह लाख अट्ठयासी हजार चार सौ तैंयालीस मात्र)** की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बन्धकर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बन्धकर्ता को तथा समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **22 माह मार्च वर्ष 2025** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रुपये 1588443/- (रु. पंद्रह लाख अट्ठयासी हजार चार सौ तैंयालीस मात्र)** की राशि **दिनांक 12 नवम्बर 2024** तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के साथ सपठित नियम 8(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय अर्थात इस सूचना से 30 दिवस के सम्बन्ध में है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित ब्लॉक-ए, सेक्टर-132, प्लॉट नं. 4, युनिट नं. 332, फ्लोर नं. 3, टावर बी, नोएडा, जिला – गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 999 वर्ग फीट** जो कि **हरप्रित सिंह व श्रीमती रमनदीप कौर** के स्वामित्व में है।

दिनांक: 22 मार्च 2025 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गौतम बुद्ध नगर — **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान औरध्या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले ब्याज का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रुपये में)	दिनांक/समय एवं कब्जे का प्रकार
1	**45128640003965**	**1) मैसर्स. रतन लाल डायमंड ज्वैलर्स प्रा. लिमिटेड, इसके निदेशक श्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। रतन लाल सहगल, 2) श्री रतन लाल सहगल (उधारकर्ता), 3) श्री अमित सहगल (गारंटर), 4) श्रीमती राकेश रानी सहगल (गारंटर), 5) श्रीमती दीक्षा सहगल (गारंटर)**	**08.01.2025 रु.2,99,34,692/–** (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख चौंतीस हजार छः सौ बानबे मात्र) 07.01.2025 तक	**दिनांक: 26.03.2025** समयः 11:19 पूर्वाह्न प्रतीकात्मक कब्जा

संपत्ति का विवरण: पूरी दुकान व्यावसायिक प्लॉट संख्या 85 पर बनी है (नीचे से ऊपर तक, छत/टेरेस अधिकार आसमान तक), भूमि क्षेत्र 23.8 वर्ग गज या कहें 19.8992 वर्ग मीटर, एडवर्ड लाइन्स किंग्सवे कैंप, दिल्ली–110009 में स्थित है, जिसके नीचे फ्रीहोल्ड भूमि पर पूर्ण और संपूर्ण शेयर/अधिकार हैं।जो श्री रतन लाल सहगल, पुत्र श्री टोपन दास और श्री अमित सहगल, पुत्र श्री रतन लाल सहगल के स्वामित्व में है।

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली एनसीआर — **हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांक: 27.03.2025, — **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071 शाखा कार्यालय :16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के बगल में, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस, इस्कॉन – अम्बली रोड, बोदकदेव, अम्बली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054।
कॉर्पोरेट कार्यालय: सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्वी), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत।
फोन नं.: +91 22 61796400 ई–मेल: contact@kifshousing.com वेबसाइट: www.kifshousing.com
CIN: U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145

भौतिक कब्जे का सूचना

दलबीर सिंह (आवेदक)
सोनिया सोनिया (सह–आवेदक)
पता खेवट नं. 1502, खतौनी नं. 1759, मुस्तिल नं. 146, किला नं. 6/18, पावर हाउस के पास नौल्था इसराना पानीपत हरियाणा भारत 132103.

जबकि

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने 19 दिसंबर, 2024 को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें आपसे नोटिस में उल्लिखित राशि 3,68,451/– रुपये (तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ इक्यावन रुपये मात्र) को आपके ऋण खाता संख्या **LNHLPNI011724** के विरुद्ध उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

आप, राशि वापस करने में असफल होने के कारण, आपको और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लेंगे, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ इस वर्ष 20 मार्च 2025 को केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को बंधक रखी गई है।

आपको विशेष रूप से और आम जनता को संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 3,68,451/– रुपये (तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ इक्यावन रुपये मात्र) की राशि के लिए भार के अधीन होगा, जो 21 अक्टूबर, 2024 को देय है, जिसमें 22 अक्टूबर, 2024 से भुगतान होने तक उस पर अतिरिक्त ब्याज भी शामिल है।

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो पते पर स्थित हैरू खेवट नंबर 1502, खतौनी नंबर 1759, मुस्तिल नंबर 146, किला नंबर 6/18, पावर हाउस के पास नौल्था इसराना पानीपत हरियाणा भारत 132103। सीमा: बिक्री विलेख के अनुसार–पूर्व: खेत, पश्चिम: गली, उत्तर: कविता का घर, दक्षिण: परमोद का खाली प्लॉट। साइट के अनुसार–पूर्व: 16 फीट 4 इंच, अन्य की कृषि भूमि, पश्चिम: 16 फीट 4 इंच, सड़क 19 फीट चौड़ी, उत्तर: कविता देवी पत्नी ओमबीर का घर, दक्षिण: परमोद का खाली प्लॉट

स्थान: पानीपत, हरियाणा — **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 20.03.2025 — **केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र–400055,
सीआईएन: L65190MH2003PLC143249, ईमेल: communications@yesbank.in, वेबसाइट: www.yesbank.in

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस का प्रकाशन

एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता जिन्होंने बैंक से प्राप्त सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है और जिनके सुविधा खाते को गैर–निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें नोटिस तामील नहीं किया गया, इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्रं. स.	खाता संख्या	ऋण का प्रकार	उधारकर्ताओं;सह–उधारकर्ता, बंधककर्ताओं का नाम	13(2) नोटिस के अनुसार बकाया	एनपीए तिथि / नोटिस तिथि
1.	5158890 0000129	ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा	**1.मेसर्स गुरु कृपा लॉजिस्टिक्स, इसके मालिक, श्री संदीप चौधरी (उधारकर्ता) के माध्यम से 2.श्री संदीप चौधरी (सह–उधारकर्ता) पुत्र श्री सत्य वीर चौधरी 3. श्री सत्य वीर चौधरी (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता) पुत्र श्री भगवंत चौधरी**	**13.01.2025 तक देय भा. रु.24,19,185.71/–** (चौबीस लाख उन्नीस हजार एक सौ पचासी रुपये मात्र)	29–नवंबर–2024 / 15–जनवरी–2025

सुरक्षित संपत्ति का विवरण– एमआईजी फ्लैट संख्या II–आरएम/97, भूतल पर बिना छत के अधिकार के, राजेंद्र नगर नामक कॉलोनी में, सेक्टर–II, टीएचए, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सीमा: पूर्व: मकान नं. 99, पश्चिम: सड़क 21' फीट चौड़ी, उत्तर: प्लॉट नं. 100, दक्षिण: सड़क 24'' फीट चौड़ी

2.	MIC00 03015 96543	माइक्रो एलएपी ऋण सुविधा	**1. श्री राहुल (उधारकर्ता) पुत